संख्या-09/2021/4377/41-2020-46(बजट)/2018

प्रेषक,

शिव पाल सिंह
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 06 जनवरी, 2021**

विषयः- जनपद मथुरा के अन्तर्गत नन्दगांव में रंगीली चौक के नन्दबाबा मंदिर तथा वी0आई0पी0 पार्किंग से नन्दबाबा मंदिर तक जाने वाली सीढियों के पुननर्निमाण की योजना हेतु अवशेष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-1356/6-1-1/ब्र0ती0वि0प0(05)/2019 दिनांक 24 जुलाई 2020 एवं पत्र सं0-3959/6-1-1/ब्र0ती0वि0प0(05)/2019 दिनांक 19 नवम्बर 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- जनपद मथुरा के अन्तर्गत नन्दगांव में रंगीली चौक के नन्दबाबा मंदिर तथा वी0आई0पी0 पार्किंग से नन्दबाबा मंदिर तक जाने वाली सीढियों के पुननर्निमाण की योजना हेतु चयनित कार्यदायी संस्था मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-140/2018/2489/41-2018-46(बजट)/2018 दिनॉक 27 अगस्त , 2018 द्वारा रू0 111.14 लाख की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 55.70 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी । उक्त प्रशासकीय स्वीकृति में निम्नांकित विवरणानुसार प्राविधान था:-

क्र0	कार्य का विवरण	स्वीकृत लागत (रूपये लाख में)
1	civil work 1-Total of staircase to temple(A) 2-Total of VIP Parking(B) 3- Total of Rangili Chowk(C)	 28.99 28.73 37.47
	D= (A+B+C)	95.19
2	Contingency @ 2% on D	1.90
3	Add 12%GST	11.65
4	Add 1% labour cess	0.97
5	Architect fees @1.5 %	1.43
	TOTAL	111.14

3- तत्क्रम में महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 पत्र सं0-1356/6-1-1/ब्र0ती0वि0प0(05)/2019 दिनांक 24 जुलाई 2020 द्वारा प्रायोजना हेतु प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र , अद्यतन फोटोग्राफ्स आदि प्रेषित कर यह अवगत कराते हुये कि इस योजना का पूर्ण कराने हेतु कुल रू0-6779442.00 (जी0एस0टी0 सहित) की ही आवश्यकता है, अवशेष धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में शासन के पत्र दि0-6-11-2020 के क्रम में महानिदेशक, पर्यटन के पत्र सं0-3959/6-1-1/ब्र0ती0वि0प0(05)/2019 दिनांक 19 नवम्बर 2020 द्वारा स्वीकृत कार्यों में से निम्नांकित मदों में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कतिपय कार्य नहीं कराये जाने के कारण बचत की सूचना दी गई है :-

serial	Works curtailed	Item	अभ्युक्ति
1	Road Ramp and Stairs	Item No 4- P.C.C 1:4:8	स्थल पर पूर्व निर्मित सीढी के मजबूत होने के कारण उन्हें नही हटाया गया, जिसके कारण इस मद को नहीं कराया गया।
		Item No 8- Brick Work	स्थल पर पूर्व निर्मित सीढी का ब्रिक वर्क मजबूत होने के कारण उन्हें न तोडे और न बनाये जाने का निर्णय लिया गया।
2	Parking	ItemNo22- Reinforcement	स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अनुसार कार्य कराये जाने पर बचत हुई।
		Item No 25- Brick Work	स्थल की आवश्यकता एवं डिजाइन के अनुसार कार्य कराये जाने पर इस मद में बचत हुई।
		Item No 33- Stone Jali	स्थल पर 02 तरफ से लोगों के मकान है, जिनके द्वारा सामने जाली लगाये जाने का विरोध किया गया, इसलिये बचत हुई।
		Item No 37- Steel Clamp	कार्य स्थल पर रेड सैण्ड स्टोन को दीवार पर लगाये जाने की मात्रा स्थल के अनुसार कम होने के कारण इस मद में आनुपातिक बचत हुई।
3	Rangeeli Chowk	Item No 77- Dismanteling of Flexible Pavement	स्थल पर पुरानी लगी हुई टाइल्स के नीचे की सतह कार्य के दौरान ठीक पाये जाने के कारण नहीं हटाया गया है, जिसके कारण इस मद में बचत हुई है।
		Item No 79- P.C.C 1:4:8	स्थानीय आवश्यकता के अनुसार सिर्फ केवल इण्टरलॉकिंग टाइल्स लगायी गई थी, जिसके कारण बचत हुई।
		Item No 85- Kota Stone Flooring	रंगीली चौक पर स्थानीय लोगों द्वारा गजेबो आदि का कार्य कराने पर आपत्ति की गई, जिसके दृष्टिगत केवल इण्टरलॉकिंग टाइल्स लगाई गई।
		Item No 91- G.S.B	पुरानी लगी हुई इण्टरलॉकिंग टाइल्स के नीचे पहले से ही जी0एस0बी0 डाली गई थी, जो मजबूत स्थिति में पायी गईगई, जिसकी वजह से बचत हुई।
		Item No 93- Lighting System Pole	सीढियों वाली गलियों की चौडाई कम होने के कारण स्थानीय निवासियों द्वारा पत्थर के खंभे लगाते हुये विदयुत प्रकाश व्यवस्था के कार्य हेतु गली कम चौडी रह जाने का तर्क दिया गया । विभिन्न मेलों एवं धार्मिक पर्वों पर भीड के आवागमन में यह खंभे अवरोधक होने के कारण निवासियों द्वारा इन्हें न लगाये जाने का अनुरोध किया गया। अत: इस मद में बचत हुई।

4- उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महानिदेशक पर्यटन द्वारा इस प्रायोजना हेतु पुनरीक्षित लागत रू0-67,79,442.00 (जी0एस0टी0 सहित) की संस्तुति करते हुये प्रायोजना की अवशेष धनराशि को अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है, परन्तु उक्त प्रस्ताव के समर्थन में वास्तविक व्यय का विवरण नहीं उपलब्ध कराया गया है, जिसके फलस्वरूप प्रायोजना की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। अत: प्रायोजना का कार्य धनाभाव में अवरूद्ध न हो , इस दृष्टिकोण से प्रायोजना के अग्रतर कार्यों को कराये जाने हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू0-5.00 लाख (रू0- पांच लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि प्रस्तर-2 पर अंकित तालिका के प्रारूप पर वास्तविक व्यय का विवरण आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त विवरण उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त प्रायोजना की पुनरीक्षित/संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति जारी करते हुये अवशेष धनराशि यथासमय अवमुक्त की जायेगी। इस

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संदर्भ में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध निम्नवत हैं:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-140/2018/2489/41-2018-46(बजट)/2018 दिनॉक 27 अगस्त , 2018 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-149/दस-2020-231/2019, दिनांक 24 मार्च, 2020,शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 7-4-2020 , शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-4-2020 एवं शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-5-2020 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(3) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र सक्षम स्तर से महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च 2020 के प्रस्तर-2(9)(ड) में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 80 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन महानिदेशक**,** पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(6) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(7) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (**VII**) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रायोजना में द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्रापत किये जायेंगे।

(13) उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद के कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण को कोई सेन्टेज देय नहीं होगा।

5- प्रस्तर-4 में प्रदान की जा रही वित्तीय स्वीकृति की धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-42- उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा मथुरा में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास -24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/2020 दिनांक 29 सितम्बर 2020 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-09/2021/4377(1)/41-2020-46(बजट)/2018 , तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा ।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव,पर्यटन विभाग,उ0प्र0शासन।
5- मुख्य कार्यपालक अधिकारी , उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा ।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी ,मथुरा।
7- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9- मुख्य अभियन्ता ,मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण,मथुरा।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11- उप निदेशक,आगरा।
12- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
13- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in